16.01.18

वकील वादी उप०। तहसीलदार के प्रतिनिधी नायब तहसीलदार उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार हो।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी—श्री मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
73 / 2017	14.12.2017	16.01.2018

कंचन पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी मोहचा, तहसील गंगापुर सिटी —मृतक
शिवदयाल पुत्र भरोसी जाति मीना निवासी मोहचा, तहसील गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादी

दावा बावत इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :—श्री बाबूलाल मीना, एडवोकेट, वादी की ओर से
नायब तहसीलदार, बजीरपुर— प्रतिवादी की ओर से

निर्णय दिनांक—16.01.2018

यह वादपत्र वादी ने इस आशय का पेश किया है कि साबिक आराजी खसरा नंबर 373 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा वाके ग्राम मोहचा तहसील गंगापुर सिटी वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त आराजी साबिक खसरा नंबर 373 के सेटिलमेंट संवत् 2039 के दौरान भू प्रबंध अधिकारियों ने खसरा नंबर 1087 रकबा 0.08 हेक्टर व खसरा नंबर 1088 रकबा 0.09 हेक्टर कायम किये है। खसरा नंबर 1087 व 1088 के जमाबंदी संवत् 2056—59 के मिलान क्षेत्रफल में खसरा नंबर 437 रकबा 0.08 हेक्टर व 438 रकबा 0.09 हेक्टर कायम किये है। वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 437 व 438 को रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों ने गलती से सिवायचक दर्ज कर दिया है जबकि उक्त भूमि खसरा नंबर 437 व 438 वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है और उक्त रकबा वादी की खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था ऐसा नहीं कर उन्होनें अपने कर्त्तव्य का उल्लंघन किया है। वादी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा जानकारी देने पर दिनांक 16.01.07 को ग्राम मोहचा हुई। इसके बाद वादी ने तहसील गंगापुर सिटी से जमाबंदी की नकल ली तब वादी को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर यह घोषित फरमाया जावे कि आराजी खसरा नंबर 437 रकबा 0.08 हेक्टर व 438 रकबा 0.09 हेक्टर वाके ग्राम मोहचा का वादी खातेदार काश्तकार है। तहसीलदार को आदेश दिया जावे कि वे अपने रेवेन्यू रिकार्ड में आराजी खसरा नंबर 437 रकबा 0.08 हेक्टर व 438 रकबा 0.09 हेक्टर वाके ग्राम मोहचा पर वादी का नाम दर्ज करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत् 2032—35 के अनुसार भूमि ग्राम मोहचा खसरा नंबर 373 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा वादी के खातेदारी में दर्ज होना पाया गया है। साबिक खसरा नंबर 373 से बने समस्त नंबरों का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है। वादी द्वारा संपूर्ण रिकार्ड पेश नहीं किये जाने के कारण जवाब दिया जाना संभव नहीं है। भू प्रबंध विभाग द्वारा हाल प्रविष्टि मौके की स्थिति अनुसार की गई है। वादी ने गलत इन्द्राज की जानकारी पटवारी हल्का से 16.01.07 को हाना बताया है जबकि पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। भू प्रबंध की कार्यवाही आज से लगभग 25 वर्ष पहले ही पूर्ण हो चुकी है।

अतः दावा मियाद बाहर है। वादी ने अपने दावे के साथ अपने खाते की वर्तमान जमाबंदी पेश नहीं की है। जिससे यह पता नहीं लगता है कि वादी को साबिक के मुकाबले वर्तमान में कितना रकबा प्राप्त हुआ है। अतः दावा वादी चलने योग्य नहीं है। वादी ने दावा दायरी से पूर्व सी0पी0सी0 की धारा 80 (2) के तहत नोटिस नहीं दिया है। अतः दावा खारिज योग्य है।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2060–63 प्रदर्श 1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2039 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संवत् 2032–35 प्रदर्श 4 पेश किये एवं बयान स्वयं वादी कंचन के करवाये गये।

बहस वकील वादी एवं नायब तहसीलदार, बजीरपुर सुनी गई।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वाद वादी डिक्री करने का अनुरोध किया।

नायब तहसीलदार, बजीरपुर ने अपने जवाब के अनुरूप बहस करते हुए वाद वादी खारिज करने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार हाल खसरा नंबर 437 रकबा 0.08 हेक्टर व 438 रकबा 0.09 हेक्टर वाके ग्राम मोहचा सिवायचक लगानी दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 के अनुसार हाल खसरा नंबर 437 व 438 साबिक खसरा नंबर 1087 रकबा 0.08 हेक्टर व 1088 रकबा 0.09 हेक्टर से बनाये गये है। नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2039 प्रदर्श 3 के अनुसार खसरा नंबर 1087, 1088 साबिक खसरा नंबर 373 मिन् से बनाये गये है। नकल जमाबंदी संवत् 2032–35 प्रदर्श 4 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 373 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा कंचन पुत्र रतनलाल कोम मीना के नाम दर्ज रही है। पत्रावली में तहसीलदार, गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक–एन.टी./10/445 दिनांक–16.08.10 के साथ संलग्न रिपोर्ट हल्का के अनुसार हाल खसरा नंबर 477 रकबा 0.27 हेक्टर, 478 रकबा 0.31 हेक्टर जरिये विक्रय पत्र नामान्तरकरण 562 दिनांक 06.09.08 द्वारा प्रकाशी देवी धर्मपत्नी शिवदयाल जाति मीना सा0देह को कंचन पुत्र रतनलाल कोम मीना ने बेचान कर दिया है। अतः वर्तमान में ये खसरा नंबर प्रकाशी देवी के नाम है तथा मोके पर दोनों खसरा नंबरान में काश्त खड़ी हुई है तथा खसरा नंबर 437 रकबा 0.08 हेक्टर, 438 रकबा 0.09 हेक्टर सिवायचक लगानी दर्ज है। इस प्रकार रिपोर्ट हल्का पटवारी से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी कंचन के नाम साबिक खसरा नंबर 373 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा से बने हाल नंबर 477 रकबा 0.27 हेक्टर, 478 रकबा 0.31 हेक्टर की खातेदारी प्राप्त हो चुकी थी, जिनको वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रकाशी देवी को विक्रय किया जा चुका है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वादी तथ्यों को छुपाकर न्यायालय में आया है एवं वादी दावा में अंकित कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। इसलिए वाद वादी खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Judi/Civil

Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर **मुकाम** गंगापुर सिटी

इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

कंचन पुत्र रतनलाल जाति मीना निवासी मोहचा, तहसील गंगापुर सिटी –मृतक

शिवदयाल पुत्र भरोसी जाति मीना निवासी मोहचा, तहसील गंगापुर सिटी –वादी

बनाम

लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी –प्रतिवादी

दावा बावत इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. –73 / 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बाबूलाल, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** नायब तहसीलदार, बजीरपुर **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी खारिज किया जाता है।**

पर्चा डिक्री अज दिनांक–16.01.2018 को जारी किया गया।

(मुनिदेव यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		